न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज रेखा वर्मा बनाम रामकिशन वर्मा मु.नं.– 61/22 किस्म – T.I	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/12/25 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11.12.25 को पेश हो।	
11.12.25 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया, जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 01.01.26 को पेश हो।	
01.01.26 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15.01.26 को पेश हो।	
15.01.26 पीठासीन अधिकारी अवकाश पर पधारे पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22.01.26 को पेश हो।	
22.01.26 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17.02.26 को पेश हो।	
17.2.26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा.पत्र T.I. पर विद्वान अभिभाषक	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर अहकाम की तामील हुए
	रमेश बनाम रामकिशन मु.नं.– 61/22 किस्म – T.I.	
	प्रार्थिगण की बहस सुनी गई। बहस का मनन किया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ~~स्वीकार~~ अस्वीकार कर खारिज (Reject) किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
61/2022	12.07.2022	17.02.2026

बउनवान

1. रमेश पुत्र रामकरण, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर जिला दौसा।
2. कादूराम पुत्र रामकरण, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर जिला दौसा।

..प्रार्थीगण/सायलान

बनाम

1. रामकिशन पुत्र रामकरण, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर जिला दौसा।
2. धपली देवी पुत्री रामकरण पत्नी सोमोत्या लाल, निवासी सरावली,हाल अलीपुर हिंगोटा तहसील मण्डावर जिला दौसा।
3. विश्राम पुत्र पूरणराम, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर जिला दौसा।
4. लोकेश पुत्र पूरणराम, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर जिला दौसा।
5. कंचन बाई पुत्री गंगाराम पत्नी नाथूलाल, निवासी सरावली हाल निवासी अलीपुर तहसील मण्डावर जिला दौसा।
6. कल्याण सहाय पुत्र गंगाराम, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर जिला दौसा।
7. बच्चूलाल पुत्र गंगाराम, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर जिला दौसा।
8. हरिकिशन पुत्र गंगाराम, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर जिला दौसा।
9. चावली पुत्री गंगाराम पत्नी भोल्याराम निवासी सरावली हाल खोडान का बास डगडगा पो. बिबाई तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
10. सरूपी पुत्री गंगाराम पत्नी रामेश्वर, निवासी आतरहेडा, तहसील महवा जिला दौसा।
11. हंसो देवी पत्नी पूरणराम, निवासी सरावली तहसील मण्डावर, जिला दौसा।
12. छोटी देवी पुत्री पूरणराम पत्नी बनवारी, निवासी नयागांव तहसील महवा जिला दौसा।
13. कैलाश पुत्र रंगलाल, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर जिला दौसा।
14. किशनलाल पुत्र रंगलाल, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर जिला दौसा।
15. जगदीश पुत्र रंगलाल, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर जिला दौसा।
16. मूली देवी पत्नी रंगलाल, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर जिला दौसा।
17. छोटा पुत्र फूला, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर जिला दौसा।
18. हीरालाल पुत्र फैली, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर जिला दौसा।
19. रामखिलाडी पुत्र छुट्टन, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर जिला दौसा।
20. रामजीलाल पुत्र छुट्टन, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर जिला दौसा।
21. उपपंजीयक मण्डावर, जिला दौसा।
22. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा।

..अप्रार्थीगण/गैरसायलान

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री धर्मसिंह राजपूत ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 12 – श्री भंवरसिंह।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि विवादित आराजीयात खसरा सं. 270, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 287/515, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306 कुल किता 36 कुल रकबा 5.14 हैक्टे. वाकै ग्राम सरावली तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित है। विवादित आराजीयात 344 एवं 345 कुल किता 02 कुल रकबा 2.63 हैक्टे. वाकेग्राम सरावली तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित है। विवादित आराजीयात प्रार्थना पत्र मद नं. 2 में सायलान प्रत्येक 1/30, 1/30 भाग के यानी दोनो का 1/15 भाग है तथा अप्रार्थी सं. 1 व 2 का 1/30, 1/30 भाग, अप्रार्थी सं. 3, 4 एवं 11 व 12 का प्रत्येक का 1/120 भाग यानी 1/30 भाग सभी का अप्रार्थी सं. 5 लगायत 10 का प्रत्येक का 1/42, 1/42 भाग और उनकी मृतक माता भौती देवी खातेदार का 1/42 भाग यानी सभी का 1/6 भाग, अप्राथी सं. 17 का 1/9 भाग, अप्रार्थी सं. 18 का 1/6 भाग, अप्रार्थी सं. 19 व 20 का प्रत्येक का 1/9, 1/9 भाग है तथा उसी हिस्सानुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में हिस्सों का इन्द्राज है तथा विवादित आराजीयात प्रार्थना पत्र मद सं. 03 में प्रार्थीगण दोनों का 1/15 भाग, अप्रार्थी सं. 1 व 2 का 1/15 भाग, अप्रार्थी सं. 3, 4 एवं 11, 12 का 1/30 भाग अप्रार्थी सं. 5 लगायत 10 का प्रत्येक का 1/42, 1/42 भाग तथा 1/42 भाग उनकी मृतक माताजी भौती देवी पत्नि गंगाराम का जो भाग भी उक्त अप्रार्थी सं. 5 लगायत 10 को प्राप्त होगा। इस कारण इन सभी का 1/6 भाग, अप्रार्थी सं. 13 लगायत 16 का 1/6 भाग, अप्रार्थी सं. 18 का 1/6 भाग तथा अप्रार्थी सं. 19 व 20 का 1/3 भाग है। उक्त खाते में अप्रार्थी सं. 5 लगायत 10 के पिता का नाम गंगाराम के स्थान पर गंगासहाय हो रहा है उक्त हिस्सानुसार ही प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा अप्रार्थी सं. 5 लगायत 10 की माताजी भौती देवी पत्नि गंगाराम की मृत्यु हो चुकी है। उसके अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 10 ही कानूनी जायज वारिस है इस कारण उसका हिस्सा भी इन्हें ही प्राप्त होगा। विवादित आराजीयात प्रार्थना पत्र मद सं. 2 व 3 प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1 लगायत 20 की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है जिसका अभी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है तथा विधिवत विभाजन नहीं होने के कारण प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य आपसी विवाद डोल मेढ को लेकर होता रहता है तथा कुछ भूमि ऐसी भी है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी बाहमी तकास्मा भी नहीं हुआ है जिस पर सभी खातेदार संयुक्त रूप से ही काबिज है। जिसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य आये दिन झगडा फिसाद होता रहता है। तथा आये

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी

दिन कोई न कोई अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात में मन चाहे जगह पर निर्माण आदि करने का प्रयास करता है तथा अपने हिस्से से भी अधिक भूमि पर कब्जा करने का निरन्तर प्रयास करते रहते है जिस कारण कई बार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य झगडा हो चुका है जिसका मुकदमा पुलिस थाना मण्डावर में भी दर्ज हो चुके हैं इस कारण आये दिन होने वाले विवादों से बचने के लिये उक्त भूमि का सरस – नरस के आधार पर अर्थात (मिटस एण्ड बाउण्डस) अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर विवादित आराजीयात प्रार्थना पत्र मद नं. 2 व 3 का प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण के मध्य हिस्से को ध्यान में रखते हुये विभाजन किया जाना आवश्यक है। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से कई बार निवेदन किया जा चुका है लेकिन वे किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं होने के कारण श्रीमान जी के समक्ष उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। दिनांक 26.06.2022 को अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी में अपने हिस्से से अधिक भूमि की बुवाई करने का प्रयास किया तब वादीगण ने उनसे ऐसा नहीं करने का निवेदन किया लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुये तब प्रार्थीगण ने अन्य व्यक्तियों को बुला कर उन्हें समझाने का प्रयास किया तथा कहा कि अपन सभी तहसील कार्यालय मण्डावर चल कर उक्त भूमि का विधिवत विभाजन अपने अपने हिस्से के अनुसार करवा लेते है तथा विभाजन होने के बाद उसकी पैमाईश करवा लेगे जिससे सभी का आपस में बहम निकल जायेगा तब अप्रार्थीगण बोले हमारे तो लटठ में ताकत है हम कोई विभाजन नहीं करायेगें तथा हमारे मन के अनुसार ही उक्त भूमि में बुवाई करेंगे। यदि वो अपनी उपरोक्त कुचेष्ठा में कामयाब हो गये तो हम प्रार्थीगण को अर्पूणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार से होना संभव नहीं होगी। लिहाजा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस पूर्णतया साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी उनके पक्ष में है। अप्रार्थीगण को यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो वो अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो जायेगे जिससे प्रार्थीगण को अर्पूणीय क्षति होगी लिहाजा अर्पूणीय क्षति का प्रश्न भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अत. अर्ज है कि अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो विवादित आराजीयात प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के हिस्सा व कब्जे काश्त की आराजी में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी बेजा ना तो स्वयं करें और ना ही किसी अन्य से करावें तथा अप्रार्थीगण भी अपने हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करने का प्रयास नहीं करें पुख्ता निर्माण नहीं करे तथा अपने हिस्से को किसी दीगर व्यक्तियों को रहन बेचान नहीं करें।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 01 लगायत 22 द्वारा न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बंद किया गया।

3. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

4. पत्रावली प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

__212.__ व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबंदी संवत 2072–75 के अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के रिकॉर्डेड सहखातेदार है। विवादित आराजीयात अविभाजित भूमि है जिसमें प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का समान हिस्सा होता है। प्रार्थना पत्र से संबद्व वाद पत्र के जरिये प्रार्थी/वादी द्वारा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है जिसका निर्धारण वादपत्र में साक्ष्य उपरांत गुणावगुण पर किया जा सकेगा इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया जाता है। रिकॉर्डेड खातेदार (अप्रार्थीगण) के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी होने से उनके खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव होगा तथा खातेदारी अधिकारों के उपयोग में अप्रार्थीगण को बाधा होगी। इस कारण निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को असुविधा तथा अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति सिद्धांत की प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर
प्रार्थना पत्र सं. 61/2022 GCMS No.2022/195
रमेश बनाम रामकिशन वगै.
निर्णय दिनांक 17.02.2026

आदेश

6. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 17.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)